


दिनांक ७-७-१९ का परा लख

७-७-१९ पत्रावली पेश हुई। वकील पायी की ओर
से वकील-नी चक्रसिंह-काधरी ने भीमो
पेश किया। वकील ~~आधी~~ ने साहिरमिया



कि अपाधी की मृत्यु हो चुकी थी वही अपाधी
की मृत्यु हो चुकी थी। अतः उक्त पार्थना-पत्र
सारहीन होने से खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाद (अजमेर)